

भारतीय गैर-न्यायिक INDIA NON-JUDICIAL

₹ 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

स्थान RAJASTHAN



क, जयपुर (पंजीयन विभाग)



यह विक्रय पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर सन् 2010 ईस्वी को

श्रीमती मधू आयु लगभग 42 वर्ष धर्मपत्नी श्री मुकेश कुमार, जाति गुर्जर,  
तद रजिस्ट्रार, जयपुर  
पंचम

अंक्ष

11/2010



2

निवासी जोधुला, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर हाले विवासी खाट नम्बर 1—सी—81, मुर्जर बस्ती, शास्त्री नगर, जयपुर दिक्षेती जिसे इस विक्रय पत्र में आगे चलकर शब्द प्रथमपक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है की ओर से

### बहक

नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति नवरंगपुरा जरिये सचिव भीम सहन गुर्जर आयु लगभग 34 वर्ष पुत्र श्री ओमकार गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम सेकरा, तेवढी, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर केता जिसे इस विक्रय पत्र में आगे चलकर शब्द द्वितीयपक्ष से सम्बोधित किया गया है के हक में लिखा गया है, जिसकी शर्तों से दोनों पक्ष व दोनों पक्षों के विधिक उत्तराधिकारी, प्राकृतिक वंशज, वारिसान, स्थानापन्न, प्रतिनिधि, एजेन्ट इत्यादि भी पूर्ण रूप से पाबन्द है व रहेंगे।

जो कि वाके ग्राम मैड, पटवार क्षेत्र मैड, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मैड, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर के खाता संख्या नया 961 पुराना 874 की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2324 रक्का 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2325 रक्का 0.13 हैक्टेयर कुल किता दो कुल रक्का 0.25 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित आराजी की कृषि भूमि का साजस्व रिकार्ड में इन्द्राज प्रथमपक्ष के नाम से दर्ज व अंकित है। इस प्रकार उक्त वर्णित कृषि भूमि की बिना किसी अन्य व्यक्ति के व सीर व साँझे के एकमात्र मालिक, स्वामी, अधिकारी एवं काविज, कास्तकार, खातेदार है, उक्त कृषि भूमि को प्रथमपक्ष ने बाज तक किसी भी अन्य व्यक्ति को रहन, विक्रय व हस्तान्तरित आदि जहाँकिया है, उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रथमपक्ष की ओर के प्रत्येक प्रकार के झगड़े, टण्टे, झण भार, वाद विवाद इत्यादि से मुक्त है तथा किसी भी कर्जा, कुर्की, डिक्की व अनुबन्ध पत्र द्वारा भी बंधित नहीं है, तथा उक्त कृषि भूमि के बाबत किसी भी अन्य व्यक्ति के हित में कोई भी दस्तावेज तहसीर नहीं किया है, एवं प्रथमपक्ष को उक्त कृषि भूमि को प्रत्येक प्रकार से अपने

उद्द रजिस्ट्रार  
प्रदेश

काम में लेने व रहन, विक्रय व हस्तान्तरित अधिकारी करने के संपूर्ण स्वत्पाधिकार मालिकाना हक प्राप्त है।

जो कि प्रथमपक्ष को अपनी निजी व पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रूपयों की आवश्यकता है इसलिये प्रथमपक्ष ने वाके ग्राम मैड, फटवार खेत्र मैड, भू-अधिकारी निरीक्षक द्वेष्ट्र मैड, तहसील विचाटनगर, जिला जयपुर के खाता संख्या नया 961 पुस्तना 874 की आसाजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2324 रक्कवा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2325 रक्कवा 0.13 हैक्टेयर कुल कित्ता दो कुल रक्कवा 0.25 हैक्टेयर को संपूर्ण स्वत्वो व अधिकारो सहित, मय, बोल, सोल, पानी, पुला, मेड ढोल वृक्षादि सहित के मुबलिग 2,61,000/- रूपये अपरे दो लाख इक्सठ हजार रूपये की एकज में द्वितीयपक्ष नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति नवरंगपुरा जस्ते सचिव भीम सहन गुर्जर आयु लगभग 34 वर्ष पुत्र श्री ओमकार गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सेवण, तेवडी, तहसील विचाटनगर, जिला जयपुर केता को कर्त्तव्य विक्रय कर दी है।

यह कि खर्चा विक्रय पत्र का प्रत्येक प्रकार द्वितीयपक्ष के जिम्मे दद्य पाया गया है, तथा द्वितीयपक्ष ने ही जलावा विक्रय मूल्याघन के अपने पास से वहन किया है।

यह कि मूल्याघन की संशि के 2,61,000/- रूपये अपरे दो लाख इक्सठ हजार प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से नगद प्राप्त कर लिये है, जिसकी प्राप्ति प्रथमपक्ष इस विक्रय पत्र में रखीकार करती है, अब प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष से उक्त आसाजी की कृषि भूमि के विक्रय मूल्य के पेटे कुछ भी अद्वितीयपक्ष नहीं रहा है, तथा ना ही भविष्य में रहेगा, तथा विक्रय की गई कृषि भूमि का कब्जा मौके पर खाली शुदा का द्वितीयपक्ष को संभला दिया है।

यह कि विक्रय की गई उपरोक्त कृषि भूमि के बाबत जो-जो अधिकार प्रथमपक्ष को प्राप्त थे वे समस्त मालिकाना अधिकार अब द्वितीयपक्ष को प्राप्त हो गये हैं व रहेंगे, अब द्वितीयपक्ष विक्रय की गई कृषि भूमि को

(भ्र.)  
(प्र.)  
AIPUR-V.

जिस तरह से भी चाहे अपने उपयोग एवं उपयोग में लैवे, स्वयं काश्त करे, किसी अन्य से काश्त करावे, उपरोक्त भूमि को उपजार बनाने के लिए भूमि को समतल करावे, चाह का निर्माण करावाये, मोटर पम्पिंग सेट लगाकर विद्युत कनेक्शन अपने नाम से प्राप्त करे, किसी पर देवे, किस्म परिवर्तन करावे, उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को संपूर्ण को एवं खण्डों में विभाजित कर विक्रय करे, हर प्रकार से फायदा उठावे, तथा किसी भी व्यक्ति को रहन, विक्रय, बख्तीश इत्यादि द्वारा हस्तान्तरित करे, उक्त विक्रय की गई कृषि भूमि को विक्रय करने का इकाइरनामा रहरीर करे, एडवांस रूपया प्राप्त करे, विक्रय पत्र निष्पादित करावे, चुक्ती राशि प्राप्त करे, केता को कब्जा संभलावे, इसमें प्रथमपक्ष को व उनके उत्तराधिकारियों, वारिसानों, स्थानापन्नों, प्रतिनिधियों को किसी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

यह कि उक्त विक्रय की गई उपरोक्त कृषि भूमि पर अब प्रथमपक्ष एवं उनके किसी भी वारिसान, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, एजेन्ट, सदस्य आदि का किसी प्रकार का कोई हक व संबंध नहीं रहा है एवं ना ही भविष्य में रहेगा।

यह कि विक्रय की गई उपरोक्त कृषि भूमि के बाबत आज से पूर्व का कोई झगड़ा-टप्टा, वाद-विवाद, सरकारी गैर सरकारी आदि का किसी प्रकार का कोई ऋण भार आदि पाया जाता है तथा उक्त बेचान के विरुद्ध स्तर रजिस्ट्रार, कॉर्स्ट्रिक्शन किसी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप करता है तो उन समस्त पंचम को निपटाने व चुकाने की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष स्वयं की होगी तथा आज के पश्चात् की समस्त जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष की होगी।

यह कि उक्त विक्रय की गई उपरोक्त कृषि भूमि के बाबत अब द्वितीयपक्ष को अधिकार है वह इस विक्रय पत्र के आधार पर समस्त सरकारी विभागों एवं राजस्व रिकार्ड में प्रथमपक्ष के नाम के स्थान पर अपना नाम अंकित करा लेवे, इसमें प्रथमपक्ष के हस्ताक्षरे, गवाहो, वयानों या स्वयं के उपस्थित होने की आवश्यकता द्वितीयपक्ष को होगी तो प्रथमपक्ष

MR, JAIPUR-V

• द्वितीयपक्ष का पूर्ण लिखित एवं भौतिक सहयोग करने के लिये बाध्य है वे रहेगी।

5




यह कि उक्त विक्य की गई उपरोक्त कृषि भूमि या इसका कोई हक व अंश प्रथमपक्ष के स्वामित्व व अधिकार की त्रुटि के कारण द्वितीयपक्ष के कब्जे व अधिकार से निकल जाता है या द्वितीयपक्ष को प्रथमपक्ष की ओर से कोई ऋण भार, सरकारी, अर्द्ध सरकारी, लगान, दैन व जनसाधारण के बहन करने पड़ते हैं तो ऐसी संपूर्ण हानि व व्यय को द्वितीयपक्ष को प्रथमपक्ष से व प्रथमपक्ष की अन्य चल व अचल संपत्ति से एक मुश्त वसूल करने का अधिकार होगा जिसमें प्रथमपक्ष व प्रथमपक्ष के वारिसान, उत्तराधिकारी आदि को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

यह कि विक्य की गई उपरोक्त कृषि भूमि दर्तमान में किसी भी सरकारी विभाग, उपक्रम द्वारा अवाप्ति में नहीं है, यदि भविष्य में उपरोक्त वर्णित आसजी कृषि भूमि राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा अवाप्त कर ली जाती है, तो उसकी एवज में मिलने वाली विकसित भूमि अथवा मुआवजे की राशि से प्रथमपक्ष व उनके कानूनी उत्तराधिकारियों, वारिसानों, स्थानापन्नों, प्रतिनिवियों, एजेन्ट, सदस्य आदि का कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं रहेगा, उपरोक्त विकसित भूमि अथवा मुआवजे की राशि इस विक्य पत्र की अनुपालना में द्वितीयपक्ष को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार

सह राजस्त्रार, जयपुर  
पंचम

यह कि वाके ग्राम गैड, पटवार क्षेत्र मैड, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मैड, तहसील विशाटनगर, जिला जयपुर के खाता संख्या नया 961 पुराना 874 की आसजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2324 रक्का 0.12 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 2325 रक्का 0.13 हैक्टैयर कुल किता दो कुल रक्का 0.25 हैक्टैयर संपूर्ण का विक्य किया गया है तथा उक्त विक्य की गई कृषि भूमि ग्राम की सम्पर्क सड़क से 500 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है इस कारण विक्य की गई कृषि भूमि की मार्केट वेल्यू विक्य मूल्य से कर्तव्य अधिक की नहीं है।



6

यह कि उक्त विक्रय पत्र की तमाम शर्तों से प्रथमपक्ष व प्रथमपक्ष के वारिसान, विधिक उत्तराधिकारी, प्राकृतिक वंशज प्रतिनिधि, एजेंट, सदस्य आदि सभी पाबन्द रहेंगे किसी को किसी भी शर्त का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं होगा।

अतः यह विक्रय पत्र दोनों पक्षों ने अपनी होश हवाश की अवस्था में बिना किसी प्रकार के दबाव में आये रखी खुशी से 5000/- रुपये के एक मुद्रा पत्र व पॉच किता पेपरो पर टाईप करवाकर कर अच्छी तरह पढ़, सुन व समझाकर अपने हस्ताक्षर सम्बन्ध निम्न गवाहान के कर दिये हैं ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक 31 दिसम्बर 2010 ईस्वी।

हस्ताक्षर विकेती प्रथमपक्ष :-

मरु

हस्ताक्षर केता द्वितीयपक्ष :-

Mewar

स. राजिस्ट्रार जयपुर  
पंचम गवाह :-

माना रामगुजर ६१. ओमाजुन लाल  
जोध स्टेट २१ ताह विराटनगर जयपुर (राज.)

गवाह - माना राम

माना रामगुजर ६१. ओमाजुन साहम गुजर  
जोधपुर ३५४००१

Stamps and Registration Department  
OFFICE OF SUB REGISTRAR SR - V

JAIPUR

(Rule 75 & 131)

FEE RECEIPT

Date

31/12/2010

2010397030032

Fee Receipt No

Presenter Name

Presenter/Property Address

Document Type

Claimant Name

Face Value

Ord- registration fee

cs1\_more\_50000

stamp(memorandum)

Penalty

tamp duty

25\_34

64\_67

Document S. No

2010397030032

JAIPUR/V/P 1-C-81 GURIAR BASTI SHASTRI

Payment Mode

Cash

Stamp Value

5000

commission

0

custody

0

reg(memorandum)

0

us\_57

0

us\_62

0

others

0

Inspection\_fee

0


Total :

0

संव रजिस्टर, जयपुर

Sub Registrar JAIPUR-V

Eleven Thousand Sixty Only



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

₹.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



K 353085



## विक्रय-पत्र

यह विक्रय-पत्र आज दिनांक 20/12/2021 इस्ती को भीमसहन आयु 44 वर्ष पुत्र श्री ओमकार, जाति-गुर्जर, निवासी-सेवरा, तहसील-विराटनगर, जिला-जयपुर, (राज.) को इस विक्रय-पत्र में विक्रेता प्रथमपक्ष कहा गया है। (इस विक्रय-पत्र में इसके प्रतिनिधि, सहभागी, स्थानापन्न, असाईनीज, उत्तराधिकारी व वाहिसान इत्यादि सम्मिलित समझे जावेगे।

Bhees



Bhees लगातार 2.

सचिव

न्यायिक रख़ब़ फ़िल्म समिति  
नडसमपुरा (जयपुर), राज.



स्वीकार करता है तथा प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त आराजी का भौतिक कब्जा आज ही मौके पर जाकर सम्मला दिया है।

2. यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता का कोई उत्तराधिकारी, स्थानापन्न अथवा प्रतिनिधि इस विक्रय-पत्र के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति उठाये या आज से पहले का कोई बकाया किसी भी किसी का उक्त विक्रित आराजी के जिम्मे होगा, तो उन सब का निपटारा व चुकारा प्रथमपक्ष विक्रेता स्वयं अपने खर्च से करेगा। इस विक्रय पत्र का समस्त खर्च द्वितियपक्ष क्रेता द्वारा वहन किया गया है।
3. यह है कि द्वितियपक्ष क्रेता उक्त विक्रित आराजी के समस्त सरकारी राजस्व रिकार्ड में प्रथमपक्ष विक्रेता बजाय अपना द्वितियपक्ष क्रेता का नामान्तरण दर्ज करवा सकेगा। यदि इस सम्बन्ध में प्रथमपक्ष विक्रेता के बयानात व शहादत की लिखित व मौखिक आवश्यकता पड़ेगी तो प्रथमपक्ष विक्रेता पूर्ण सहयोग देंगा। द्वितियपक्ष क्रेता उक्त विक्रित आराजी का हर प्रकार से उपयोग व उपभोग कर सकेगा। द्वितियपक्ष क्रेता उक्त वर्णित भूमि का नामान्तरण अपने नाम से खुलवाकर किसी को भी विक्रय, रहन, बख्तीश व हस्तांतरित कर सकेगा।
4. यह है कि प्रथमपक्ष विक्रेता के स्वामित्व हक्क की त्रुटि की वजह से उक्त विक्रित आराजी का सम्पूर्ण अथवा कोई अशं उक्त द्वितियपक्ष क्रेता के अधिकार तथा कब्जे से निकल जायेगा तो उक्त द्वितियपक्ष क्रेता को अधिकार होगा कि वह उक्त विक्रित आराजी के ऐसे समय की बाजारु कीमत की समस्त राशि को प्रथमपक्ष विक्रेता तथा प्रथमपक्ष विक्रेता की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे एक मुश्त वसूल कर लेवें।

*M. Legan S.*  
सचिव  
संघीय नियमिती

*M. Legan S.*

एग्रीमेन्ट या संविदा कर कोई रक्षीद आदि लिख है। आराजी हर प्रकार से पाक साफ है। प्रथमपक्ष विक्रेता को उक्त विक्रेता को हर तरह से अपने काम में लेने व इसको हर प्रकार से हस्ताक्षर बैचान करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार प्राप्त है।

यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता को अपने पारिवारिक व निजी आवश्यकता हेतु रूपयों की आवश्यकता है इसलिये प्रथमपक्ष विक्रेता ने अपनी ग्रामपाली मैड, में स्थित कृषि भूमि जिसका विवरण सारणि के अनुसार निम्नग्रन्थ से है:-

### सारणी-1

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
722	2329	0.14 हैक्टेयर	बंजड डोल

उपरोक्त सारणी के अनुसार कुल किता-1, खसरेनम्बरान का कुल रकबा 0.14 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि की कृषि भूमि को मय पूला, पानी, मेड, बोल, सोल इत्यादि सहित इसमें बिना रखे किसी हक व अंश के सम्पूर्ण हक हकूको सहित को मुबलिग रूपये 1,00,000/- अकेही एक लाख रुपये के बदले में द्वितीयपक्ष क्रेता के हित में कतई विक्रय कर दिया है।

1. यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त आराजी की तयशुदा विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि जरिये BOB Bank बैंक शाखा-शाहपुरा, जयपुर के चैक नम्बर 000103 के द्वारा प्राप्त कर ली है। अब उक्त आराजी के पेटे कोई राशि लेना शेष नहीं है। इस प्रकार से प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता से उक्त आराजी की तयशुदा राशि आज यह विक्रय-पत्र निष्पादित करवाते समय बतौर निम्न हस्ताक्षरकर्ता/साक्षीगणों के समक्ष प्राप्त करना प्रथमपक्ष विक्रेता

*Meean S.*

*Meean S.*  
संकेत  
प्रथमपक्ष विक्रेता



बहक

नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति मैड, जरिये सचिव श्री भीमसहन आयु 44 वर्ष पुत्र श्री ओमकार, जाति—गुर्जर, निवासी—सेवरा, तहसील—विराटनगर, जिला—जयपुर, (राज.) को इस विक्रय—पत्र में क्रेता द्वितियपक्ष कहा गया है। (इस विक्रय—पत्र में इसके प्रतिनिधि, सहभागी, स्थानापन्न, असाईनीज, उत्तराधिकारी व वारिसान इत्यादि सम्बिलित समझे जावेगे। जिनके मध्य में उक्त विक्रय—पत्र निम्नप्रकार से लेखबद्ध किया गया है।

जो कि प्रथमपक्ष की ग्राम—मैड, पटवार हल्का—मैड, तहसील—विराटनगर, जिला—जयपुर (राज.) में खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है, जिसका विवरण सारिणयों के अनुसार निम्नप्रकार से है:-

### सारिणी-1

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किसम
722	2329	0.14 हैक्टेयर	बंजड डोल

उपरोक्त सारिणी के अनुसार कुल किता-1, खसरेनम्बरान का कुल रकबा 0.14 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि का प्रथमपक्ष मालिक व स्वामी है। खातेदारी रिकार्ड के मुताबिक व राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रथमपक्ष विक्रेता के नाम से दर्ज व अकिंत है। उक्त सम्पूर्ण आराजी प्रथमपक्ष विक्रेता के नाम अधिकार व कब्जे कास्त में है। किसी अन्य का इसमें किसी प्रकार का कोई हक व सम्बन्ध नहीं है। उक्त उल्लेखित आराजी आज तक समस्त प्रकार के झगड़े, टन्टो से, वाद—विवादो से तथा सरकारी गैर सरकारी बैंक एवं जनसाधारण के ऋण एवं कर भार से सर्वथा मुक्त है। प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त आराजी को आज से पूर्व किसी के हित में रहन विक्रय, बरिखायत, जमानत, कुर्की, डिक्री, पूण्य वसीयत आदि से बन्धित अथवा हस्तान्तरित नहीं कर रखी है तथा ना ही कोई

*Mearns*

*Mearns*  
समिति



5. यह है कि उक्त वर्णित आराजी मौके पर सिवित है। यह आराजी सड़क से एक किलोमीटर दूर है। इसके आसपास कोई सरकारी कार्यालय व गैर सरकारी कार्यालय व्यावसायिक व आधौनिक प्रतिष्ठान नहीं हैं।

अतः यह विक्रय पत्र प्रथमपक्ष विक्रेता ने द्वितियपक्ष क्रेता के हित में अपनी स्थिर बुद्धि एवं स्वस्थ इन्द्रिय की दशा में स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव व बिना किसी नशे पत्ते के 1,000/- रुपये के मुद्रांक व चार पेपर किता-5, पर निम्न साक्षीगण के समक्ष भली प्रकार से पढ़-सुन व समझ कर हस्ताक्षरित लिपिबद्धकरा दिया है, ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। दिनांक - 20/12/2021

#### हस्ताक्षर साक्षीगण :-

1. कृष्ण कुमार गुर्जर पुत्र श्री मैत्राम गुर्जर  
निवासी-सेवन, तहसील-विराटनगर  
आयु 34 वर्ष, पेशा-नीजी



#### हस्ताक्षर प्रथमपक्ष विक्रेता

2. रामलीलाल गुर्जर पुत्र श्री मैत्राम गुर्जर  
निवासी-तेवडी, तहसील-विराटनगर  
आयु 45 वर्ष, पेशा-नीजी



#### हस्ताक्षर द्वितियपक्ष क्रेता

नवराम पंचिलक नकूल मिशा समिति  
नवरामपुरा (जयपुर) राज्य

पंचायत विवरनगर (जयपुर)  
कार्यालय

Government of Rajasthan  
 REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER  
 SUB-REGISTRAR : VIRATNAGER

**Fee Receipt**  
 Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 20-12-2021 3:39 PM

Fee Receipt No	: 202102421002772	Receipt Date	: 20/12/2021
Name	: NAVRANG PUBLIC SCHOOL SHIKSHA SAMITI MAID JARYA SACHIN BHEMSHAN GURJAR,	Document S. No.	: 202101421002748
Address	: D. MAID. VIRATNAGAR JAIPUR.		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 100000	Evaluated Value	: ₹ 189303
Old-Registration Fee	: ₹ 1894	+ Fee for Memorandum Us_64_57	: ₹
CSI	: ₹ 300	+ Certified copying fee Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	+ Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 3408	+ Stamp Duty	: ₹ 11360
Penalty	: ₹ 0	+ Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	+ Commission	: ₹ 0
Gustody	: ₹	+ Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 16962
		Total Amount	: ₹ 16962

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)  
 # e-Challan 56662020 ₹ 15662 + Stamp N.A. ₹ 1300

Signature of presenter or applicant for  
 copy or Search certificate

Casher

Signature of recipient  
 and date of filling receipt

SUB-REGISTRAR

प्रतीक्षा विवरणगर (जयपुर)

प्रतीक्षा विवरणगर (जयपुर)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये  
₹.1000

ONE THOUSAND RUPEES  
Rs.1000

राजस्थान RAJASTHAN

K 353087



यह विक्रय-पत्र आज दिनांक 20/12/2021 इस्वी को  
नारायणी देवी आयु 72 वर्ष पलि स्व. श्री सुरजमल, जाति-गुर्जर,  
निवासी-जोधूला, तहसील-विराटनगर, जिला-जयपुर, (राज.) को  
इस विक्रय-पत्र में विक्रेता प्रथमपक्ष कहा गया है। (इस विक्रय-पत्र  
में इसके प्रतिनिधी, सहभागी, स्थानापन्न, असाईनीज, उत्तराधिकारी  
व विवारिसान इत्यादि सम्मिलित समझे जावेगे।

मालिक का नाम  
उपर्युक्त विवाहनगर जयपुर

संचिव \_\_\_\_\_  
लगातार \_\_\_\_\_ 2  
नवरम परिवक बड़ू विवाह समिति  
नवरमपुरा (जयपुर) राज.



नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति मैड, जरिये सचिव श्री भीमसहन आयु 44 वर्ष पुत्र श्री ओमकार, जाति—गुर्जर, निवासी—सेवरा, तहसील—विराटनगर, जिला—जयपुर, (राज.) को इस विक्रय—पत्र में क्रेता द्वितियपक्ष कहा गया है। (इस विक्रय—पत्र में इसके प्रतिनिधि, सहभागी, स्थानापन्न, असाईनीज, उत्तराधिकारी व वारिसान इत्यादि समिलित समझे जावेगे। जिनके मध्य में उक्त विक्रय—पत्र निम्नप्रकार से लेखबद्ध किया गया है।

जो कि प्रथमपक्ष की ग्राम—मैड, पटवार हल्का—मैड, तहसील—विराटनगर, जिला—जयपुर (राज.) में खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है, जिसका विवरण सारिण्यो के अनुसार निम्नप्रकार से है:-

### सारिणी—1

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किसम
449	2330	0.18 हैक्टेयर	चाही 2

उपरोक्त सारिणी के अनुसार कुल किता—1, खसरेनम्बरान का कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि का प्रथमपक्ष मालिक व स्वामी है। खातेदारी रिकार्ड के मुताबिक व राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रथमपक्ष विक्रेता के नाम से दर्ज व अकिंत है। उक्त सम्पूर्ण आराजी प्रथमपक्ष विक्रेता के नाम अधिकार व कब्जे कास्त में है। किसी अन्य का इसमें किसी प्रकार का कोई हक व सम्बन्ध नहीं है। उक्त उल्लेखित आराजी आज तक समर्त प्रकार के झगड़े, टन्टो से, वाद—विवादो से तथा सरकारी गैर सरकारी बैंक एवं जनसाधारण के ऋण एवं कर भार से सर्वथा मुक्त है। प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त आराजी को आज से पूर्व किसी के हित में रहन विक्रय, बखिलायत, जमानत, कुर्की, डिक्री, पूण्य वसीयत आदि से बन्धित अथवा हस्तान्तरित नहीं कर रखी है तथा ना ही कोई

तारायण। देवं।

27/6/2012  
सचिव

एग्रीमेन्ट या संविदा कर कोई रसीद आदि लिख रखी है, अर्थात् उक्त आराजी हर प्रकार से पाक साफ है। प्रथमपक्ष विक्रेता को उक्त आराजी को हर तरह से अपने काम में लेने व इसको हर प्रकार से हस्तान्तरित व बेचान करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार प्राप्त है।

यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता को अपने पारिवारिक व निजी आवश्यकता हेतु रूपयों की आवश्यकता है इसलिये प्रथमपक्ष विक्रेता ने अपनी ग्राम-मैड, में स्थित कृषि भूमि जिसका विवरण सारणि के अनुसार निम्नप्रकार से है:-

### सारिणी-1

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किसम
449	2330	0.18 हैक्टेयर	चाही 2

उपरोक्त सारिणी के अनुसार कुल किता-1, खसरेनम्बरान का कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि की कृषि भूमि को मय पूला, पानी, मेड, बोल, सोल इत्यादि सहित इसमें बिना रखे किसी हक व अंश के सम्पूर्ण हक हकूको सहित को मुबलिग रूपये 1,00,000/- अकेही एक लाख रूपये के बदले में द्वितीयपक्ष क्रेता के हित में कर्तव्य विक्रय कर दिया है।

1. यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त आराजी की तयशुदा विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि जरिये BOB Bank बैंक शाखा-शाहपुरा, जयपुर के चैक नम्बर 000104 के द्वारा प्राप्त कर ली है। अब उक्त आराजी के पेटे कोई राशि लेना शेष नहीं है। इस प्रकार से प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता से उक्त आराजी की तयशुदा राशि आज यह विक्रय-पत्र निष्पादित करवाते समय बतौर निम्न हस्ताक्षरकर्ता/साक्षीगणों के समक्ष प्राप्त करना प्रथमपक्ष विक्रेता

।।।) २०१८ (३१) २०१८।।।

*Mees*

स्वीकार करता है तथा प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त आराजी का भास्तिक

2. यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता का कोई उत्तराधिकारी, स्थानापन्न अथवा प्रतिनिधि इस विक्रय-पत्र के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति उठाये या आज से पहले का कोई बकाया किसी भी किसी का उक्त विक्रित आराजी के जिम्मे होगा, तो उन सब का निपटारा व चुकारा प्रथमपक्ष विक्रेता स्वयं अपने खर्च से करेगा। इस विक्रय पत्र का समस्त खर्च द्वितीयपक्ष क्रेता द्वारा वहन किया गया है।
3. यह है कि द्वितीयपक्ष क्रेता उक्त विक्रित आराजी के समस्त सरकारी राजस्व रिकार्ड में प्रथमपक्ष विक्रेता बजाय अपना द्वितीयपक्ष क्रेता का नामान्तरण दर्ज करवा सकेगा। यदि इस सम्बन्ध में प्रथमपक्ष विक्रेता के द्वानात व शहादत की लिखित व मौखिक आवश्यकता पड़ेगी तो प्रथमपक्ष विक्रेता पूर्ण सहयोग देंगा। द्वितीयपक्ष क्रेता उक्त विक्रित आराजी का हर प्रकार से उपयोग व उपभोग कर सकेगा। द्वितीयपक्ष क्रेता उक्त वर्णित भूमि का नामान्तरण अपने नाम से खुलवाकर किसी को भी विक्रय, रहन, बख्शीश व हस्तांतरित कर सकेगा।
4. यह है कि प्रथमपक्ष विक्रेता के स्वामित्व हक्क की त्रुटि की वजह से उक्त विक्रित आराजी का सम्पूर्ण अथवा कोई अशं उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता के अधिकार तथा कब्जे से निकल जायेगा तो उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता को अधिकार होगा कि वह उक्त विक्रित आराजी के ऐसे सम की बाजारु कीमत की समस्त राशि को प्रथमपक्ष विक्रेता तथा प्रथमपक्ष विक्रेता की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार एक मुश्त वसूल कर लेवें।

आराजी त्रुटि

संविधान  
उत्तराधिकारी विक्रेता का नाम  
कर्मगुप्त (अम्बुज) राज

5. यह है कि उक्त वर्णित आराजी मौके भर स्थिरित है। यह आराजी सड़क से एक किलोमीटर दूर है। इसके आसपास कोई सरकारी कार्यालय व गैर सरकारी कार्यालय व्यावसायिक व आधौनिक प्रतिष्ठान नहीं है।

अतः यह विक्रय पत्र प्रथमपक्ष विक्रेता ने द्वितियपक्ष क्रेता के हित में अपनी स्थिर बुद्धि एवं स्वस्थ इन्द्रिय की दशा में स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव व बिना किसी नशे पत्ते के 1,000/- रुपये के मुद्रांक व चार पेपर किता—5, पर निम्न साक्षीगण के समक्ष भली प्रकार से पढ़—सुन व समझ कर हस्ताक्षरित लिपिबद्धकरा दिया है, ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। दिनांक — 20 / 12 / 2021

हस्ताक्षर साक्षीगण :-



1. कृष्ण कुमार गुर्जर पुत्र श्री पालाराम गुर्जर  
निवासी—सेवरा, तहसील—विराटनगर  
आयु 34 वर्ष, पेशा—नीजी

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष विक्रेता

20/12/2021

2. रामलीलाल गुर्जर पुत्र श्री मैरुराम गुर्जर  
निवासी—तेवडी, तहसील—विराटनगर  
आयु 45 वर्ष, पेशा—नीजी



हस्ताक्षर द्वितियपक्ष क्रेता

Bheem S

सचिव

नाम राधिका रक्खन शिखा सभिता  
वरनन्दा (जयपुर) नाम



Government of Rajasthan  
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER  
SUB-REGISTRAR : VIRATNAGAR

Fee Receipt  
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 20-12-2021 3:17 PM

Fee Receipt No	: 202102421002768	Receipt Date	: 20/12/2021
Name	: NAVRANG PUBLIC SCHOOL SHIKSHA SAMITI MAID JARYA SACHIN BHEMSHAN GURJAR.	Document E. No.	: 202101421002744
Address	: D, VIRATNAGAR, VIRATNAGAR, JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 100000	Evaluate Value	: ₹ 243388
Or-Registration Fee	: ₹ 2434	Fee for Memorandum, Us_54_57	: ₹ 0
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹ 14604
Surcharge	: ₹ 4380	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 21718
		Other than Cash	: ₹ 21718
		Total Amount	: ₹ 21718

Mode of Payment (MMode Number Amount #)  
# e-Gra Chalan 55555519 ₹ 20418 # Stamp N.A. ₹ 1300  
- 21/12/2021 3:17

Signature of presenter or applicant for  
copy or Search certificate

Casher

Signature of recipient  
and Date of return receipt  
21/12/2021

SUB-REGISTRAR



(2)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

राजस्थान RAJASTHAN

5303



## विक्रय पत्र

मालियत राशि 1,69,000 / रुपये मात्र

मुद्रांक राशि 11,000 / रुपये मात्र

बकागज 4 दिनांक 8/12/2006 वार शुक्रवार  
मैं हनुमान आयु 45 साल पुत्र नाथा माली जाति माली निवासी मैड  
तहसील विराट नगर जिला जयपुर राजस्थान का रहने वाला हुँ।  
लगातार.....

टुमान माथ



जिला जात्यान RAJASTHAN

जो कि वाके ग्राम मैड पटवार हल्का मैड तहसील विराट नगर जिला जयपुर राजस्थान के खाता सं० 961 के आराजी खसरा नं० 2322/0.12 है० चाही तृतीय 2323/0.12 है० चाही तृतीय 2324/0.12 है० चाही तृतीय 2325/0.15 है० चाही तृतीय कुल किता 4 कुल है० चाही तृतीय 2325/0.15 है० चाही तृतीय कुल किता 4 कुल है० मेरा हिस्सा 1/2 है। जो कि मेरे स्वयं की रकबा 0.51 है० मेरा हिस्सा 1/2 है। जो कि मेरे स्वयं की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि सम्पर्क एवं आवादी से 500 मीटर से अधिक दुरी पर स्थित है। इस भूमि के आसपास कोई सरकारी एवं गैर सरकारी या औद्योगिक ईकाई नहीं है। उक्त भूमि सभी प्रकार के आठमार व प्रतिबन्धों से पूर्णतया मुक्त है। एवं पाक व पवित्र है। जिसे हर प्रकार से उपयोग व उपभोग में लेने का एवं बेचान करने का, रहन व ब करने का मुझे पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त है। चुकिं मुझे अपने घरेलु कार्य के लिए रूपयों की आवश्यकता है। इसलिए मैने अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि वाके ग्राम मैड पटवार हल्का मैड तहसील विराट नगर जिला जयपुर राजस्थान के खाता सं० 961 के आराजी खसरा नं० 2322/0.12 है० चाही तृतीय 2323/0.12 है० चाही तृतीय 2324/0.12 है० चाही तृतीय 2325/0.15 है० चाही तृतीय कुल किता 4 कुल है० मेरा हिस्सा 1/2 यानि 0.25.50 है०

लगातार.....

दृग्मानन्द



मुद्रा नं. RAJASTHAN

894252

(संग्रहीत को मध्य नीव सीव पुला पूर्णी तमाम बाहरी व भीतरी  
मालिकाना हक हकूक सहित पुष्टिकिक रूपये 1,69,000/बंके एक  
झाँख उनेतर हजार रुपये में बहक नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा  
अभियान नवरंगपुरा जरिये सचिव भीम सहन गुर्जर तहसील  
विराट नगर जिला जयपुर राजस्थान के हित में कर्तव्य विकाय कर  
दी है। विकित भूमि की तमाम राशि केता से नकद प्राप्त कर ली है।  
अब उक्त भूमि के पेटे कोई राशि शेष लेना बकाया नहीं रहा है।  
तथा आज से मैंने अपना कब्जा हटाकर अपने समान कब्जा केता का  
करवा दिया है। अब केता को अधिकार होगा कि अपनी खरीद शुद्धा  
भूमि को अपने उपयोग व उपयोग में लेवे एवं अपने नाम से  
खातेदारी दर्ज करवाये बेचान करे, रहन व अ करे या अन्य किसी रूप  
में अन्तरिम करवाये जिसमें मुझे व मेरे वारिसान को आपत्ति उठाने  
का कोई हक अधिकार नहीं होगा।

लगातार

दृश्यान्वय



राजस्थान RAJASTHAN 4 (5000+2)(500+2) पर 894  
मैंने अपनी राजी स्त्री का वास, हवास, बिला किसी दबाव,  
स्वच्छ चित, स्थिर बुद्धि की व्यवस्था में केता के हित में लिख दिया  
हूँ। कि सनद रहे वक्ता जल्लरत कोम आवे। इस विक्रय पत्र की फोटो  
ग्रन्ति अपठनीय हो जाने पर जिम्मेवारी उभय पक्ष की होगी। पंजीयन  
एवं मुद्रांक विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

ह० विक्रेता

द्वावा/वाटा

पुत्र द्वावा (उपर्युक्त)

1. महादेव पुत्र श्री बद्दी प्रसाद ठुकरी  
निम सेवरा तह० विराट नगर

महादेव ठुकरी

2. महेश पुत्र श्री सुवा लाल गुर्जर  
निम सेवरा तह० विराट नगर

श्रीमान्मार्गुर्जर

ह० केता

साचिव

वर्वाच प्रसिद्ध स्कूल विद्यालय  
नवरंगपुरा (बलनगर)

उप पाण्डियक  
हस्तीन विप्रद्वार (बलनगर)

12-107

63

(3)

28691

ग्रन्त रक्षण संस्करण

(यह प्रति सेल्फ-पत्र पेश करने वाले ग्रान्टर एवं देह करने वाले अपने पास रखें)

(अप हुई पीस के लिए स्थैतिक)

1. पेश करने वाले या ग्रान्टर-एवं देह करने वाले का नाम बुद्धि द्वितीय
2. लेखन-पत्र की रिप्रिज्य बुद्धि द्वितीय
3. विवरण मिह दो ब्रह्म हुई
4. ग्रान्टर की रकम १३५००० .. सम्भव कीमत
5. पीप उभयन्ती : १३५०००

(1) ग्रान्टर की रकम १३५००० -

(2) लेखन-पत्र की पुनरावृत्त में प्रतिरिप्रिय करने की पीस

- 100

(3) घण्ट 64 से 67 के अनुसार इन्हने बढ़ावे करने की पीस

- 100 -

ल. घण्ट 57 के अनुसार प्रतिरिप्रिय के प्रतिरिप्रिय देहे की पीस

म. विविध पीस :

(1) साधारण अवका विशेष अपिकार-एवं ग्रान्टर की पीस

(2) घण्ट 62 के अनुसार अनुसार इन्हने बढ़ावे करने की पीस

(3) घण्ट 23 से 34 के अनुसार देह से लेखन-पत्र प्रस्तुत होने अवका सम्मानकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के बारम चुन्दर्दी हुई पीस

(4) कमीशन दाका पर पर आदे की पीस दाका प्रका

(5) रिवर्सर छाप उभयन्ती करने पर अटिरिका पीस

(6) संचालक पीस

(7) योहरवन्द लिंग्डो : (विशेष बढ़ीवाह एवं सदा हो)

अमानन्त रहने, चापिस लेने अवका लोकने की पीस

(8) पुस्तक के निरीक्षण अवका छट्टारी की पीस

(9) अन्य विविध प्रकार की आद (विशेष रही पदार्थों की

विशेष इत्यादि की आव समिलित है)

योग पीस १३५०० -

क्रमांक २३ तात्पुरता अनुसार इन्हने बढ़ावे करने की पीस

पीस के प्राप्त होने की तारीख 12-11-2011

लेखन-पत्र का प्रतिरिप्रिय उत्पाद सटीकिनेट पाने के हस्ताक्षर और तीटावे

बढ़े या पाने की तारीख

उप प्राप्ति अनुसार  
रिवर्सर की रकम सुलगावे (जबर्दस्त)

प्रस्तुत - ख

(दोखिये नियम 9 (3), (4) और (6)

## कार्यालय विहित अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी विराटनगर)

संख्या : राजस्व / 2022 / १२०

दिनांक : 14.06.2022

### संपरिवर्तन आदेश

नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति मैड जरिये सचिव श्री भीमसहन पुत्र ओमकार जाति गुर्जर निवासी सेवरा तहसील विराटनगर जयपुर के आवेदन पत्र पर उसकी खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 छ के अधीन संस्थानिक शैक्षणिक प्रयोजनार्थ के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं।

1. आवेदक खातेदार का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता

नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति मैड जरिये सचिव श्री भीमसहन पुत्र ओमकार जाति गुर्जर निवासी सेवरा तहसील विराटनगर जयपुर

..... नहीं .....

2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।

..... नहीं .....

3. संपरिवर्तित भूमि का व्यौत्ता :-

..... मैड/ मैड/ विराटनगर

अ. ग्राम/ ग्राम पचायत/ तहसील का नाम

..... 2329/0.14, 2330/0.18 हैक्टेयर (एकड़ी)

ब. भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा

..... रकम 0.3200 हैक्टेयर सम्पूर्ण यानि 3200 वर्गमीटर

स. प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को

..... 2329/0.14, 2330/0.18 हैक्टेयर सम्पूर्ण

उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल

..... रकम 0.3200 हैक्टेयर सम्पूर्ण यानि 3200 वर्गमीटर

(हैक्टेयर या वर्गमीटर)

..... वर्गमीटर

4. संपरिवर्तन का प्रयोजन

..... संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ

5. रादेय प्रीमियम की रकम

..... DLC रकम 10% (22.42/- रुपये प्रति

वर्गमीटर)

..... वर्गमीटर

6. बालान की संख्या तथा तारीख सहित

..... GRN :- 0056805905 Date :- 23-12-2021

जमा कराई गई प्रीमियम की रकम

..... Rs- 10000/-

7. बालान की संख्या तथा तारीख सहित

..... GRN :- 0062960705 Date :- 03-06-2022

शासित यदि कोई हो, की जमा करायी

..... Rs- 61750/-

गई रकम

..... नहीं .....

8. बालान की संख्या तथा तारीख सहित

..... नहीं .....

व्याज यदि कोई हो, की जमा करायी गई

..... नहीं .....

रकम

..... नहीं .....

9. क्या आदेश नियमितिकरण के लिए

..... नहीं .....

नियम-13 के अधीन जारी किया गया है।

..... नहीं .....

10. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो।

..... नहीं .....

उपर्युक्त अधिकारी  
तहसील विराटनगर (जयपुर)

..... नहीं .....

उपर्युक्त अधिकारी  
तहसील विराटनगर (जयपुर)

### उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

- उपर्युक्त प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग, विहित प्राधिकारी की पूर्ण अनुच्छा प्राप्त किया जिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- उक्त संपरिवर्तन आदेश का ट्रैस नवशा अभिन्न अंग रहेगा।
- यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के अन्दर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुच्छा प्रत्याहृत करली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी श्रीमियम धन राशि सम्पूर्त हो जायेगी।
- राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / अन्य सड़क मार्ग जहां से संपरिवर्तित भूमि पर पहुंच है उसके पास इडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के माय से छोटी गई भूमि निर्धारित रीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा समारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
- आवेदित संपरिवर्तित भूमि पर यदि विजली की एचटी / एलटी लाईन गुजर रही हो, तो विद्युत विभाग के नोर्म्स अनुसार निर्माण कार्य किया जावे।
- आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसंघना दिनांक 15.05.08 अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की वारदी में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो रीमा से 50 मीटर की वारदी में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

विहित प्राधिकारी की मंहर



*निर्माण  
उपसंचालक प्राधिकारी  
विराटनगर (जिल्हा)*

दिनांक 14.06.2022

संख्या : राजस्व/2022/1211-1214

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान विल कलकटा मर्लीदण (राजस्व) जयपुर।
- ✓ तहसीलदार विराटनगर को यातना सुनिश्चित करने हेतु।
3. उप पंजीयन, उप पंजीयन करायीलय विराटनगर।
4. घटचारी हल्ला मैड को जादेश के पालनार्थ।
5. रस्ताय, रास्ता प्रवायत मैड।
- ✓ नियरंग प्रदिक तहसील दिल्ला समिति में जारी लिपि श्री नीमसहन मुज ओमकार जाति गुजर निवासी सेवा तहसील विराटनगर जयपुर।
7. कार्यालय प्रति।

*उपर्युक्त संभिलीकारी  
विराटनगर (जिल्हा)*

रज दिन - 06 जून 2022  
रज संख्या 977  
पंजीयन 10 नं. 902203421101768  
संघीय नं. 1723-189  
पंजीयन 1723-189  
उप प्रिवेट  
विराटनगर (जिल्हा)

## कार्यालय विहित अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी विराटनगर)

संख्या : राजस्व / 2018 /

दिनांक 14.02.2018

## संपरिवर्तन आदेश

नवरंग पर्सिक स्कूल शिक्षा समिति नवरंगपुरा जरिए सचिव भीमसहन गुर्जर लहसील विराटनगर जिला जयपुर के आवेदन पत्र पर उसकी खातेदारी अभिधृति में घासित कृषि भूमि का सजस्थान भू-सजस्थ (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम ५ (VII) के अधीन संस्थागत प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं।

1. आवेदक खातेदार का नाम पिता/यति के नाम सहित पूरा पता	नवरंग पर्सिक स्कूल शिक्षा समिति नवरंगपुरा जरिए सचिव भीमसहन गुर्जर लहसील विराटनगर जिला जयपुर
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।	_____ नहीं.
3. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :- अ. ग्राम/ग्राम पंचायत/लहसील का नाम ब. भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	मैड ग्राम पंचायत मैड लहसील विराटनगर 2324/0.12, 2325/0.13 हैक्टेयर कुल 2500 वर्गमीटर
स. प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर)	2324/0.12, 2325/0.13 हैक्टेयर कुल 2500 वर्गमीटर
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थागत प्रयोजनार्थ
5. संदेय प्रीमियम की दर	दी.एल.सी. दर का ५% ( 10.87 रु. प्रति वर्गमीटर)
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	GRN :- 0014331683 Date : 16.12.2016 Rs. - 25000/- ( 64/16.12.2016) GRN :- 19905574 Date : 30.11.2017 Rs. - 83730/- ( 352/30.11.2017) प्रीमियम राशि 27182/-
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शासित यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम	नियमन शासित राशि 81546/-रु. कुल राशि 108728/-रु.
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम	_____ नहीं _____
9. क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम-13 के अधीन जारी किया गया है।	_____ नहीं _____
10. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो।	_____ नहीं _____ उपाय विराटनगर (संघपत्र)

गुरु  
14/02/2018

- उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-
- उपर्युक्त प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग, विहित प्राधिकारी की पूर्ण अनुमति प्राप्त किये जिन किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- यदि आवेदक हुस आदेश की जारी होने की तारीख से 6 वर्ष तक कालाबंधी के अन्दर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुमति प्रदाता हूस करती जाएगी और आवेदक हुस जगा करती रही दीमियम घम रही समझत ही जाएगी।
- गियर-4 में यथाविनियत भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सड़क मार्ग जहाँ से संपरिवर्तित भूमि पर पहुच है उसके पास हृषिकेन दोनों कार्रवाई हुआ निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के क्षय से छोड़ी गई भूमि निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्रव नहीं किया जायेगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी; यदि सार्वजनिक निर्माण किया गया हुआ संपरिवर्तित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण किया गया से अनुमति लेनी होगी।
- राजस्व कियाग के परिपत्र क्रमांक : प-८ (६) राज-८/९२ पार्ट/२१ दिनांक 27.06.2009 की पालना सुनिश्चित की जाये।
- आवेदित स्वतंत्र के निकटतम नगरपालिका/स्थानीय निकाय की उप विधियों एवं निर्धारित भागदण्डों के अनुसार रास्तम कमेटी के हुए यात्रा अनुमोदित करवाया जाकर ही निर्माण करवाया जा सकेगा।
- आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो तत्पाद पार्किंग लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.05.08 अनुसार पार्किंग लाईन की मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिली में तथा द्वियों लियत हो तो द्वियों सीमा से 50 मीटर की परिली में कोई निर्माण कार्रव नहीं किया जायेगा।
- राजस्वान भू—राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र) में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन नियम 2007 एवं हुस संबंध में जारी अन्य परिपत्र/निर्देशों की सभी शर्तें लागू होगी।
- संपरिवर्तन भूमि पर स्वायत्त आसन कियाग के आदेश क्रमांक एफ ०५ (३१०) एसई/स्थानीय/जीसारी/२००५/१२२५० दिनांक 11.02.2005 में अकित रहते लागू होगी।



संख्या : राजस्व/2018/ 1954- 1958

प्रतिलिपि :- सूचनार्थी एवं पालनार्थी

- श्रीमान जिला कलकटर महानगर (राजस्व) जयपुर।
- तहसीलदार विशाटनगर को पालना सुनिश्चित करने हेतु।
- उप वर्दीयक, तहसील विशाटनगर, जिला जयपुर।
- पटवारी हल्का नवरंगपुरा को आदेश के पालनार्थ।
- सरपंच, ग्राम पंचायत नवरंगपुरा।
- आवेदक नवरंग पंचायत स्कूल किया समिति नवरंगपुरा जरिए समित भीमसहन गुजर तहसील विशाटनगर जिला जयपुर।
- कार्यालय प्रति।

*(Signature)*  
विहित प्राधिकारी  
उपराजपत्र अधिकारी, विशाटनगर  
(जयपुर)

दिनांक : 14/2/18

*(Signature)*  
विहित प्राधिकारी  
उपराजपत्र अधिकारी, विशाटनगर  
(जयपुर)

परिशिष्ट - 13

भूमि- भदन प्रभाण पत्र प्राप्ति

क्रमांक 16 मेंट/2021/469

झारखंड/हसीत/नगरपालिका/संग्रहनिगम/विकास प्राधिकरण

दिनांक 21.12.20

-विशेष संकेत-

भूमि अद्युत (राख)

आधिक

कोर्टज शिक्षा राज्यसभा

जयपुर

विषय: भूमि- भदन प्रभाण पत्र

(सभिति का नाम) द्वारा निवेदन करने पर से द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि अद्युतें घे भवन की जांच की गई।

1. भूमि का पत्र : ५११२ तिथि ०१.१२

2. अवस्थाते

	जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर (विकास प्राधिकरण) में	अन्य भाग्यशील मुख्यालय (संग्रहनिय मुख्यालय की राधानीय निकाय सीमा)	जिला मुख्यालय (जिला मुख्यालय की राधानीय निकाय सीमा)	राहरी निकाय (राधानीय शाही निकाय की सीमा तक)	अन्य संस्था होत्र ग्रामीण
झेला नंदेश	—	—	—	—	2321 2336 2322 2227 5932 2324 2227
भूमि का चम्प	—	—	—	—	8300 9114
झेला नंदेश	—	—	—	—	0.5100 ग्राम 3.19
झेला नंदेश	—	—	—	—	832 9114 733

जनरली अवृत्ति सभिति के नाम रिकॉर्ड में इज उत्त खसरा कुड़ा / सुखगढ़ो को भूमि जीवित माल  
इत्तुट/लगायत है।

प्रयोग किया जाता है कि उपर्युक्त भूमि बर्तमान में

नाम सही है।

(निम्न में से जो लागू न हो उसे काट दें)

उपर्युक्त भूमि पर संस्था द्वारा ग्रस्तावित महाविद्यालय का किराए का भवन एक ही दहसील सीमा

न स्थित है।

2.  उपर्युक्त भूमि पर संस्था द्वारा ग्रस्तावित महाविद्यालय का किराए का भवन एक ही दहसील सीमा

लहसुनील दहसील (भूमि की)

संस्थावित समाज वित्त विभाग द्वारा दहसील

प्राप्ति "ब"  
देखिये नियम 9(3)(4) और (6)  
कार्यालय, जिला कलाकार, जयपुर

दिनांक वार 18वी (12) 07 / सत्त्वा / 9618

दिनांक 15-11-10

संपरिवर्तन आदेश

नवरंग पट्टिका रखूल शिक्षा समिति, नवरंगपुरा, विराटनगर, जयपुर, जरिये सचिव भीमसहन गुर्जर तहसील विराटनगर जिला जयपुर के आदेदन पत्र उनकी आतेहारी अभिधृति ने घारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-प्रयोजन (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 8 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके हारा संपरिवर्तन किया जाता है। यिसकी विविधिया नीचे दी गई है।

1. आधिकारिक आतेहारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता।	नवरंग पट्टिका रखूल शिक्षा समिति, नवरंगपुरा, विराटनगर, जयपुर, जरिये सचिव भीमसहन गुर्जर तहसील विराटनगर जिला जयपुर
2. वया, आधिकारिक अनुसूचित पाति या अनुसूचित जनजाति का सत्त्वा है।	-
3. संपरिवर्तित भूमि का भीड़ा (अ) प्राप्त/भाग पंथायत/तठसील का नाम	प्राप्त पंथ प्राप्त, भेड़ तठसील विराटनगर
(ब) भूमि का खसरा राखा और प्रत्येक खसरा संख्या का क्रमांक	ख.न. 232, 240 वा 0.12 हेक्टर, ख.न. 2323 रकमा 0.12 हेक्टर ख.न. 5938/232 रकमा 0.02 हेक्टर, कुल रकमा 0.26 हेक्टर
(क) प्रत्येक खसरा संख्या का क्रमांक त्रुट त्रुट संपरिवर्तित करते हुए संपरिवर्तन की त्रुटि (उच्चे, ना वर्ती, मै)	ख.न. 23-2 रकमा 0.12 हेक्टर, ख.न. 2323 रकमा 0.12 हेक्टर ख.न. 5938/2325 रकमा 0.02 हेक्टर, कुल रकमा 0.26 हेक्टर अर्थात् 2000 रुपयोगी भूमि का रुपान्तरण हिन्दा गया।
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	संरक्षण ग्रामीणता
5. संदेश प्रीमियम की दर	10.30/- प्रति रुपयोगी
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जना कराई गई प्रीमियम की रकम।	183 दिनांक 05.10.10 राशि 20,088/-
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शासित यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	रापकोष में जमा कराई गई। चालान संख्या 103 दिनांक 05.10.10 हाला नियम 800 रुपयोगी में नियमित होने से पार गुना रापकोष के रूप में 53,210/- रुपये रापकोष में जमा कराई गई।
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ज्ञात यदि कोई हो, जो जमा कराई गई रकम।	नहीं।
9. क्षमा आदेश नियमितवरण के लिए नियम 13 के आधीन जारी किया गया है।	नहीं।
10. अन्य विशेषित्या, यदि चाहे हो।	इंडियन रेड कॉर्पस के मापदण्डानुसार सड़क/रास्ते की सीधा छोड़ कर निर्माण कराया जाएगा।

